

Pending Projects under Environment and Forests Policy

6608. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether a large number of development projects concerning some States and Union Territories under the Environment and Forests Policy are pending with Government;

(b) if so, the names of such projects State and Union Territory-wise with reasons of such pendency in each case;

(c) whether Government propose to take some steps for clearance of these projects during the current year, and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) A statement showing the names of proposals State-wise, pending with the Central Government as on 30.4.1994 under the Forest (Conservation) Act, 1980 and for environmental clearance alongwith the reasons for pendency is given in Annexure [See Appendix 170, Annexure No. 135]

(c) and (d) As and when a proposal is received with full details from the State Government/UTs, expeditious action is taken to decide the proposal

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक प्रदूषण रोकने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करना

6609. श्री गोविन्द राम मिरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र अर्थात्

बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ रजनांदगांव और दुर्ग जिलों में स्थित विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं द्वारा अंधाधुंध फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा अब तक उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रदूषण फैला रही संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या छत्तीसगढ़ क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार और उक्त संस्थाएं एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाने वाली हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है:—

1 वायु/जल गुणवत्ता के लिए उद्योगों के बहिस्त्रावों/उत्सर्जनों की नियमित निगरानी।

2 उद्योगों का बार-बार निरीक्षण।

3 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 31 (क) और 33 (क) के तहत दोषी इकाइयों को नोटिस दिए गए।

4 वायु अधिनियम, 1981 और जल अधिनियम, 1974 के तहत दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी मामले शुरू किए गए हैं।

5 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उद्योगों की अत्यधिक प्रदूषक 17 श्रेणियों का पता लगाया गया और इन उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है।

(ख) जी, हां, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु अधिनियम 1981 और जल अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। जिन इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनके नाम और की गई कार्रवाई नीचे दी गई है:—

- | | |
|--|--|
| 1. मैसर्स सिचानिया सीमेंट
भाटापाड़ा, रामपुर | 12.4.92 को वायु अधिनियम के तहत न्यायालय में मामला दायर किया गया। |
| 2. मैसर्स भगत आइरन एंड
रि-रोलिंग, दुर्ग | 30.6.93 को वायु अधिनियम के तहत न्यायालय में मामला दायर किया गया। |
| 3. मैसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टीलरी,
भिलाई | जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 के तहत उत्पादन को केवल 8 घंटे तक सीमित करने तथा समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उद्योग ने माननीय उच्च न्यायालय से रोक आदेश ले लिया है। |
| 4. मैसर्स केडिया डिस्टीलरी, दुर्ग | जल अधिनियम की धारा 33 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। उद्योग ने माननीय उच्च न्यायालय से रोक आदेश ले लिया है। |
| 5. मैसर्स ज़िन्दल स्टिप्स लि० | वायु अधिनियम की धारा 33 क के तहत 23.3.94 को नोटिस जारी किया गया। |

(ग) जी, हां, मध्यप्रदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 किस्मों का पता लगाया है और केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार उद्योगों को एक समयबद्ध कार्यक्रम दिया गया है। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ क्षेत्र की 18 बड़ी/मझौली औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। उक्त सभी इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्रवाई कर ली है। कोरबा क्षेत्र के लिए "कोरबा कार्य योजना" कार्यान्वित की जा रही है।

पर्यावरण अधिनियम और वन अधिनियम में संशोधन

6610. श्री जनार्दन यादव: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पठारी क्षेत्रों से पत्थरों की ढुलाई पर रोक लगा दी गई है;

(ख) क्या ऐसी रोक लग जाने के कारण हजारों क्रेशर मशीनों पर अब पत्थर तोड़े नहीं जा सकते जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन बेरोजगार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पर्यावरण अधिनियम और वन अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने बिहार के पठारी क्षेत्रों में पत्थरों की ढुलाई पर ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Foreign assistance for development of Western Ghats

6611. SHRIMATI KAMLA SINHA:
SHRI RANJAN PRASAD
YADAV:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Karnataka Forest Department has received Rupees 93 crores from the Overseas Development Agency, a British voluntary organisation, for the development of the Western Ghats, of which 10% has to be spent on training of the staff working on the project;

(b) whether the Forests Department has started holding training programmes in five-star hotels and sending its officials abroad instead of training them in the project area; and

(c) if so, what steps Government intend to take to ensure that overseas funds for such projects are spent productively and effectively instead of in a lavish and wasteful manner?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The Overseas Development Administration (ODA), an organisation of the UK Govt., is funding the Western Ghats Forestry Project in Karnataka. The Project has been under implementation since 1992-93 and will be spread over six